

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी

(पीठासीन अधिकारी कैम्प कॉर्ट) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र मरामी

प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021

प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021

:- आदेश :-

प्र0सं0 :- 190.../2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का मरामी, भू अ0नि0 वृत्त रनद की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा मरामी तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्बन्ध 230, 231, 300 के खाता संख्या 230, 231, 300 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>मरामी</u>	230	<u>शमेश्या पुत्र भेरिया</u>	<u>शमेश्या पुत्र भैरानाल चौधरी</u>
	<u>मरामी</u>	231	<u>चौधरी पालि भेरिया</u>	<u>पालि भैरानाल</u>
	<u>मरामी</u>	300	<u>शमेश्या पुत्र भेरिया</u>	<u>शमेश्या पुत्र भैरानाल चौधरी</u>
	<u>मरामी</u>		<u>चौधरी पालि भेरिया</u>	<u>पालि भैरानाल</u>

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(190)2021

दिनांक :- 12/10/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री शमेश्या पुत्र भैरानाल को सूचनार्थ।

12/10/21

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

